न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैलाशनारायण बनाम भूमिधारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR मु.न.-33/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
23.09.2021	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम--1956 का अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Rathore 23/09/21 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:23:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला–सीकर(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह **(RAS)**

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
33/2021	2021/84	17.03.2021	23.09.2021

उनवान प्रकरण

कैलाश नारायण पुत्र बोदूराम उम्र 72 वर्ष जाति जाट निवासी ढ़ाणी कोकावाली तन् ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला – सीकर।

––प्रार्थी––

बनाम

भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला – सीकर।

––अप्रार्थी––

उपस्थित :–

श्री हनुमान राम एड0 – प्रार्थी की ओर से

पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर– अप्रार्थी की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि के मुताबिक खसरा नंबर 175 से 186, 188 से 195 एंव 221 कुल किता 21 कुल रकबा 15.07 हैक्टर में हिस्सा 1/15 की खातेदारी प्रार्थी के नाम अंकित है। उक्त भूमियों की खातेदारी में प्रार्थी का नाम कालू पुत्र बोदू गलत दर्ज है तथा भूमि खाता संख्या 81 के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1646 व 256 कुल किता 2 कुल रकबा 1.86 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर के 1/5 हिस्से की खातेदारी प्रार्थी के नाम अंकित है। उक्त भूमियों की खातेदारी में प्रार्थी का नाम कालूराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:23:44 IST
Reason: SelfAttested

23/09/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उर्फ कैलाशनारायण पुत्र बोदूराम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में प्रार्थी का नाम कालू एंव कालूराम अंकित हो गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम कैलाश नारायण है तथा यही नाम अंकित होना चाहिए था। उक्त कैलाश नारायण नाम ही समस्त दस्तावेजात में अंकित है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंव बच्चों के शैक्षणिक दस्तावेजात् में भी प्रार्थी का नाम कैलाश नारायण ही अंकित है जो सही एंव सत्य है। प्रार्थी को किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिए राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर प्रार्थी का नाम कैलाश नारायण नाम की जगह कालू एंव कालूराम दर्ज होने की जानकारी हुई तो वह राजस्व कर्मचारियों से मिला तथा अपना नाम कैलाश नारायण अंकित कराने के लिए निवेदन किया तो उन्होने माननीय न्यायालय से आदेश लाने के लिए कहा। इसलिए प्रार्थी को माननीय न्यायालय से आदेश लाने लाने के लिए कहे जाने पर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर.एक्ट 1956 के तहत दुरूस्ती किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी अभिभाषक ने निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भूमि खाता संख्या 395 के कृषि भूमि खसरा नंबर खसरा नंबर 175 से 186, 188 से 195, 221 कुल किता 21 कुल रकबा 15.07 हैक्टर तन् ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकार्ड प्रार्थी का नाम कालू पुत्र बोदू की जगह कैलाश नारायण पुत्र बोदूराम सही संशोधन किये जाने के आदेश प्रदान करने एंव भूमि खाता संख्या 81 के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1646 व 256 कुल किता 2 कुल रकबा 1.86 हैक्टर अवस्थित तन् गढ़टकनेत के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कालूराम उर्फ कैलाशनारायण पुत्र बोदूराम की जगह कैलाशनारायण पुत्र बोदूराम सही संशोधन कर दुरूस्त किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा किया गया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 1 (तहसीलदार) द्वारा हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 1594/भू.अ./2021 दिनांक 21.06.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.06 18:23:44 IST
Reason: SelfAttested

23/09/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 395 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 175 से 186, 188 से 195, 221 कुल किता 21 कुल रकबा 15.07 हैक्टर तन् ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकार्ड प्रार्थी का नाम कालू पुत्र बोदू की जगह कैलाश नारायण पुत्र बोदूराम दुरूस्त कर सही संशोधन किये जाने एंव भूमि खाता संख्या 81 के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1646 व 256 कुल किता 2 कुल रकबा 1.86 हैक्टर अवस्थित तन् गढ़टकनेत के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कालूराम उर्फ कैलाश नारायण पुत्र बोदूराम की जगह कैलाश नारायण पुत्र बोदूराम दुरूस्त कर सही करने एंव कालू उर्फ कैलाश नारायण पुत्र बोदूराम व कालू पुत्र बोदू एक ही व्यक्ति का होना तथा वादी के सभी संलग्न दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड , केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय भारत सरकार, नई दिल्ली में भी प्रार्थी का नाम कैलाश नारायण पुत्र बोदूराम दर्ज होना अंकित किया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में उक्त खसरा नम्बर में प्रार्थी का नाम कैलाश नारायण पुत्र बोदूराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा अपनी रिपोर्ट में की है। प्रार्थी साक्ष्य में पेश गवाह मालीराम पुत्र बोदूराम, गिरधारी लाल पुत्र बोदूराम, छोटूराम पुत्र बोदूराम व अर्जून पुत्र बोदूराम के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश कर दौराने जिरह प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रार्थी को सगा भाई बताते हुए नाम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा बहस पर सगौर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर के खाता संख्या 395 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 175 से 186, 188 से 195, 221 कुल किता 21 कुल रकबा 15.07 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कालू पुत्र बोदू की जगह कैलाश नारायण पुत्र बोदूराम एंव भूमि खाता संख्या 81 के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1646 व 256 कुल किता 2 कुल रकबा 1.86 हैक्टर में प्रार्थी का नाम कालूराम उर्फ कैलाश नारायण पुत्र बोदूराम की जगह कैलाश नारायण पुत्र बोदूराम दुरूस्त कर सही करने बाबत दर्शाया जाना त्रुटिपूर्ण है। जिसकी वर्तमान राजस्व अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में शुद्ध करना न्यायहित में आवश्यक है।

23/08/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:23:44 IST
Reason: SelfAttested

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है। ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खाता संख्या 395 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 175 से 186, 188 से 195, 221 कुल किता 21 कुल रकबा 15.07 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कालू पुत्र बोदू की जगह कैलाश नारायण पुत्र बोदूराम दुरूस्त कर सही संशोधन किया जावे एंव भूमि खाता संख्या 81 के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1646 व 256 कुल किता 2 कुल रकबा 1.86 हैक्टर अवस्थित तन् गढ़टकनेत के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम कालूराम उर्फ कैलाश नारायण पुत्र बोदूराम की जगह कैलाश नारायण पुत्र बोदूराम सही दर्ज कर राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सत्यमेव जयते

23/09/21

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 23.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

23/09/21

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:23:44 IST
Reason: SelfAttested